न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 127 / 2022

1 श्रीमती दड़का देवी पत्नी स्व. लीलाधर जाति नायक, उम्र 65 साल निवासी सेहीकलां, तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
2 राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. लीलाधर, जाति नायक उम्र 40 साल निवासी सेहीकलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
3 श्रीमती मोहनी देवी पत्नी मदन लाल पुत्री स्व. लीलाधर, जाति नायक उम्र 35 वर्ष निवासी सेहीकलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज. हाल निवासी लाम्बा तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान राज्य सरकार भूमि धारक जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.03.2022 योग्य विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ मु.नं. 257 / 2021 शीर्षक मुकदमा राज. सरकार बनाम लीलाधर अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री मनोहर लाल सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 24.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा 257/2021 में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 171 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 686/168 रकबा 0.31 हैक्टेयर ग्राम सेहीकलां तहसील सूरजगढ़ में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत तहसीलदार सूरजगढ़ ने उक्त भूमि को अकृषि कार्यों के लिय काम आना बताकर उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू के न्यायालय में धारा 177 आर.टी.एक्ट 1955 का वाद पत्र पेश किया जिस वाद पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 16. 03.2022 को विचाराधीन निर्णय पारित कर स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पक्षकारों की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्व तामील पर्याप्त मानकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की तामील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं) सत्यमेव जयते

ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चशपा कर तामील मानी गई है। विचारण न्यायालय ने सम्यक तामील करवाये बिना, अपील को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विवादित भूमि अपीलांट के पिता के नाम खातेदारी मे दर्ज थी। अपीलांट के पिता की दिनांक 05.05.2021 को मृत्यु हो चुकी है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में सम्यक तामील के उपरांत एकपक्षीय कार्यवाही कर पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग साबित पाये जाने पर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। अपील मियाद बाहर है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंदर मियाद शुमार की जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में पक्षकारों की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध तामील पर्याप्त मानकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की तामील ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चशपा कर तामील मानी गई है। विचारण न्यायालय ने सम्यक तामील करवाये बिना, अपील को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विवादित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भूमि अपीलांट के पिता के नाम खातेदारी मे दर्ज थी। अपीलांट के पिता की दिनांक 05.05.2021 को मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)